



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092020-222005
CG-DL-E-26092020-222005

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2960]
No. 2960]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2020/आश्विन 3, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2020/ASVINA 3, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2020

का.आ. 3312(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि कर्नाटक राज्य के बेंगलोर रूरल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 207 के कि.मी. 47.900 से कि.मी. 49.280 (सरजापुरा - डोबासपेट सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् स्पेशल लैंड एक्जीजीशन अफसर एंड कम्पीटेंट अथॉरिटी नेशनल हाइवेज बेंगलुरु को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों

की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 207 के कि.मी. 47.900 से कि.मी.49.280 (सरजापुरा - डोबासपेट सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: कर्नाटक		जिले का नाम: बैंगलोर रूरल			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: होसकोटे					
गांव का नाम: कोरलुर					
1	11	निजी	ड्राई	0.0040000(वर्ग मीटर)	0.0000004
2	12	निजी	ड्राई	0.0080000(वर्ग मीटर)	0.0000008
3	188	निजी	बिलटूप एरिया	638.5500000(वर्ग मीटर)	0.0638550
4	189	निजी	बिलटूप एरिया	120.9200000(वर्ग मीटर)	0.0120920
5	190	निजी	बिलटूप एरिया	129.8700000(वर्ग मीटर)	0.0129870
6	2	निजी	ड्राई	901.3900000(वर्ग मीटर)	0.0901390
7	63	निजी	बिलटूप एरिया	198.4900000(वर्ग मीटर)	0.0198490
8	89	निजी	ड्राई	93.2700000(वर्ग मीटर)	0.0093270
9	91	निजी	बिलटूप एरिया	174.0600000(वर्ग मीटर)	0.0174060
10	92	निजी	बिलटूप एरिया	142.3800000(वर्ग मीटर)	0.0142380
11	95	निजी	बिलटूप एरिया	129.9800000(वर्ग मीटर)	0.0129980
12	Gramatana	निजी	ड्राई	100.0000000(वर्ग मीटर)	0.0100000
कुल				2,628.9220	0.2629

[फा. सं. RW/NH-12014/KNT(4)LA-17/S&R(B)/3A]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2020

S.O. 3312(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highways 207 in the stretch of land from Km 47.900 to Km 49.280 (Sarjapura - Dobbaspeta section) in the district of Bangalore Rural in the state of KARNATAKA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special Land Acquisition officer and Authority National highways Bangalore in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 47.900 to Km. 49.280 (Sarjapura - Dobbaspeta section) of the National Highways 207 in the state of KARNATAKA.

State: KARNATAKA		District: Bangalore Rural			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Hoskote					
Village: Koralur					
1	11	Private	Dry	0.0040000(Square Meter)	0.0000004
2	12	Private	Dry	0.0080000(Square Meter)	0.0000008
3	188	Private	Builtup Area	638.5500000(Square Meter)	0.0638550
4	189	Private	Builtup Area	120.9200000(Square Meter)	0.0120920
5	190	Private	Builtup Area	129.8700000(Square Meter)	0.0129870
6	2	Private	Dry	901.3900000(Square Meter)	0.0901390
7	63	Private	Builtup Area	198.4900000(Square Meter)	0.0198490
8	89	Private	Dry	93.2700000(Square Meter)	0.0093270
9	91	Private	Builtup Area	174.0600000(Square Meter)	0.0174060
10	92	Private	Builtup Area	142.3800000(Square Meter)	0.0142380
11	95	Private	Builtup Area	129.9800000(Square Meter)	0.0129980
12	Gramatana	Private	Dry	100.0000000(Square Meter)	0.0100000
Total				2,628.9220	0.2629

[F. No. RW/NH-12014/KNT(4)LA-17/S&R(B)/3A]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.